RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 29 / 2024

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–
श्री अमराराम पुत्र श्री भारूराम निवासी खेराजपुर, एड सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

आदेश

दिनांक : 01.04.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 27.09.2024 को श्री रामावतार पुनिया प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स पानी तार की फैक्ट्री सिणधरी बाईपास रोड़ एड सिणधरी की गोदाम पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री अमराराम उपस्थित मिले। मौके पर गौदाम में 142 किग्रा के 07 सिलेण्डर खाली, 19.0 किग्रा 09 सिलेण्डर खाली कुल 16 घरेलु सिलेण्डर भंण्डारण किए हुए वक्त जांच पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	001333-T	H.P	19.2 Kg	19.2 Kg	0 Kg
2.	038461 T	H.P	19.2 Kg	19.2 Kg	0 Kg
3.	17287 B	H.P	19.4 Kg	19.4 Kg	0 Kg
4.	604421 C	H.P	19.3 Kg	19.3 Kg	0 Kg
5.	029832 S	H.P	19.3 Kg	19.3 Kg	0 Kg
6	185513 B	H.P	19.2 Kg	19.2 Kg	0 Kg
7	049437 B	H.P	19.4 Kg	19.4 Kg	0 Kg
8	034553 B	H.P	19.4 Kg	19.4 Kg	0 Kg

जिला कलक्टर
बालोतरा

9.	0475022 C	H.P	19.4 Kg	19.4 Kg	0 Kg
10.	000982 S	H.P	15.7 Kg	15.7 Kg	0 Kg
11.	608031 S	H.P	16.0 Kg	16.0 Kg	0 Kg
12.	213625 T	H.P	15.8 Kg	15.8 Kg	0 Kg
13.	309776 S	H.P	15.5 Kg	15.5 Kg	0 Kg
14.	976420 T	H.P	16.0 Kg	16.0 Kg	0 Kg
15.	377828 T	H.P	15.3 Kg	15.3 Kg	0 Kg
16	637661 T	H.P	15.9 Kg	15.9 Kg	0 Kg

2. प्रार्थी ने कथन किया कि मौके पर उक्त गोदाम में पाये गये 14.2 किग्रा के 07 सिलेण्डर खाली, 19.0 किग्रा 09 सिलेण्डर खाली कुल 16 घरेलु सिलेण्डर से संबंधित अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त कुल 16 घरेलु सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर को मैसर्स जेतेश्वर एस पी गैस ग्रामीण वितरक के मैनेजर श्री छोगाराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7 (1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा कुल 16 घरेलु सिलेण्डर को राजसात करने का आदेश फरमाया जायें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है

4. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के गोदाम पर पाये गय 14.2 किग्रा के 07 सिलेण्डर खाली, 19.0 किग्रा 09 सिलेण्डर खाली कुल 16 घरेलु सिलेण्डर से संबंधित अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त सिलेण्डर को उक्त रेगुलेटर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स जेतेश्वर एस पी गैस ग्रामीण वितरक के मैनेजर श्री छोगाराम को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर पर तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7 (1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप

जिला कलक्टर
बालोतरा

सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के सिलेण्डर राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7 (1) का उल्लंघन में पाये गये उपरोक्त सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सिलेण्डर का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

6. आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा